



## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 7176/08/2018/चयन

इन्दौर दिनांक 18 जुलाई, 2018

### सहायक प्राध्यापक परीक्षा – 2017

#### चयन – सूची

#### पदनाम – सहायक प्राध्यापक, अपराध शास्त्र

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 07/2017/दिनांक 12.12.2017 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के सन्दर्भ में आयोजित सहायक प्राध्यापक ऑनलाईन परीक्षा – 2017 के तहत उच्च शिक्षा विभाग एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु के अंतर्गत पदनाम – सहायक प्राध्यापक, अपराध शास्त्र के निम्नांकित तालिका में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए ऑनलाईन परीक्षा दिनांक **26 जून, 2018** को आयोजित किये जाने के परिणामस्वरूप लिखित परीक्षा के प्राप्तांक + अतिथि विद्वान को देय वरीयता अंकों के योग के गुणानुक्रम में से प्राप्त अग्रमान्यता के आधार पर पदवार चयन सूची निम्नानुसार घोषित की जाती है :-

#### 1 सहायक प्राध्यापक, अपराधशास्त्र (उच्च शिक्षा विभाग के लिए)

#### 1 सहायक प्राध्यापक, अपराधशास्त्र (उच्च शिक्षा विभाग के लिए)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	1	0	0	0	1
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	0	0	0	0	

#### मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	1000237	CHANDRA DEEP YADAV	M	UNR	GEN

#### अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	1003835	RAMESH KUMAR SAHU	M	GEN

#### 2 सहायक प्राध्यापक, अपराधशास्त्र (डॉ. बी.आर. अम्बे. सा.वि.वि. के लिए)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	1	0	0	0	1
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	0	0	0	0	

#### मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	1001458	SHAHANSHAH GULPHAM	M	UNR	GEN

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	1002038	SATEESH RAJAK	M	GEN


टीप :-

1. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि "हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हो" जिसके तहत किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम में से उनके द्वारा दी गई अग्रमान्यता के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।
2. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/384/एफ/850/1/3/08 भोपाल, दिनांक 28.08.1998 में दिये निर्देशों के तहत राज्य शासन की सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के संबंध में प्राप्त मार्गदर्शन अंतर्गत - ".....महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण का अर्थ यही है कि जो भी महिलायें चयनित हो उनको 30 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध गिना जायेगा" इसी प्रकार म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/111/1817/2006/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 29.01.2007 में उल्लेखित मार्गदर्शन अंतर्गत - ".....होरिजेण्टल आरक्षण में उन उम्मीदवारों की भी गणना की जाती है जो योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं। यदि प्रवर्गवार सामान्य चयनित सूची में निःशक्तजन/महिलाएं/भूतपूर्व सैनिक (जिनके लिये होरिजेण्टल आरक्षण है) शामिल न हो तो आरक्षण का लाभ देते हुए "सामान्य कट आफ मार्क्स" के नीचे से चयन करते हुए निर्धारित आरक्षित पदों की पूर्ति की जानी चाहिए ....."(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 454 दिनांक 17.11.2015 के अनुसार उक्त 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण को संशोधित करते हुए 33 प्रतिशत किया गया है)
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित जानकारी को शत-प्रतिशत सही मानते हुए एवं उसके आधार पर ही, लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों + अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंकों के योग की मेरिट आधार पर चयन परिणाम तैयार किया गया है। जारी किया गया चयन परिणाम निम्नांकित कंडिका के अध्यक्षीन समस्त शर्तों को पूर्ण करने पर ही मान्य रहेगा, आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि करने की स्थिति में स्वतः ही आवेदक की चयन की अधिकारिता विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेगी -
  - (1) चयन सूची की अनुशंसा विभाग को इस शर्त के साथ अग्रेषित की जावेगी कि विभाग चयन सूची में चयनित मुख्य सूची/अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों को अपने स्तर पर विज्ञापन में वर्णित शैक्षणिक अर्हता/पात्रता की समस्त शर्तें एवं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई प्रविष्टियां शत-प्रतिशत सही हैं अथवा नहीं, आवेदक के मूल अभिलेखों से सूक्ष्मता से मिलान/सत्यापन कार्य पूर्ण कराकर समुचित पुष्टि उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाही संपादित करना सुनिश्चित करेंगे।
  - (2) सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रकाशित म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में उल्लेखित कंडिकाएं निम्नांकित हैं -
 

व कंडिका - 13- (2) "संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा...."

व कंडिका - 15- (2) "सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाई सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा।"

(3) उक्त राजपत्र में वर्णित प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा की जा रही सहायक प्राध्यापक की चयन प्रक्रिया उपरांत नियुक्ति पूर्व विभाग मुख्य सूची में चयनित समस्त आवेदकों की अर्हताएं विज्ञापन में विज्ञापित वर्णित व्यवस्था अनुसार जाँच की जाना होगी, जाँच उपरांत ही विभाग द्वारा आवेदकों के नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सम्पादित करेंगे। मुख्य सूची में चयनित आवेदक यदि किसी आवेदक की अर्हताएं विज्ञापन अनुसार पूर्ण नहीं होती है, तो विभाग अपने स्तर पर नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही सम्पादित कर, संबंधित श्रेणी के अनुपूरक सूची के आवेदक की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही अभिलेख जाँच उपरांत पूर्ण करेंगे, इसकी सूचना आयोग को भी प्रदान करने की कार्यवाही सम्पादित करेंगे।



( रेनु पन्त )

सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर

